

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15-क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत है।	हाँ
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्तावित वन भूमि (अर्थात्) अर्थात् वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। दिनांक- 28-05-2017 स्थान- पूजाबाद हस्ताक्षर नाम- (ओ.पी. सिंह) सरकारी मोहर- मुख्य वन संरक्षक प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सांथा, सरयू वृत्त, उ०प्र०, फैजाबाद।